प्रेषक,

संख्या– /XXIV–नवसृजित/15–01(15)/2015

चन्द्रशेखर भट्ट,
प्रमाणी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित

विषयः– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका 1716/एस0एस0/2011 सतीश चन्द्र पाण्डे व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या 485/एस0एस0/2013 केशवानन्द जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के क्रम में योजित विशेष अपील संख्या 536/2014 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम सतीश चन्द्र पाण्डे व अन्य तथा विशेष अपील संख्या 289/2014 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम केशवानन्द जोशी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के अनुपालन में ऐसे समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को, जो दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2009 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हों, के वेतन व पेंशन आदि देयकों के भुगतान के संबंध में।

देहरादूनः दिनांक 24 जुलाई, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.03.2009 के मध्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को शासनादेश संख्या 74 दिनांक 01 मार्च, 2009 के द्वारा उच्चीकृत वेतनमानों के आधार पर पेंशन स्वीकृत नहीं होने के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न स्तरों से याचिकायें योजित होने पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या 536/2014 व 289/2014 में संयुक्त रूप से दिनांक 14.07.2015 को निर्णय पारित किया। जिसका क्रियात्मक अंश निम्न प्रकार है:–

"In our view two different stands, in respect of persons working in the Department on 01-01-2006 can't be taken. Admittedly, the petitioners were working in the department on 01-01-2006. The other persons, who were also working and are still continuing in the department, have been given notional benefits from 01-01-2006. Meaning thereby, their salary has been fixed on 01-01-2006. They have been granted benefit of increment every year, but in the matter of the petitioners, though, they were working in the department on 01-01-2006, no such notional benefit was given to the petitioners. In our view, the respondents should have re-fixed the salary of the petitioners as per the Government order; should have granted increment to them also; sould have fixed their pension on the basis of their enhanced salary on the date on which

they retired by giving them notional benefit, but actual benefit of the enhanced pension should only be granted from 01-04-2009."

2— मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा विभाग के ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को, जो दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2009 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हों, को शासनादेश संख्या–74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01.03.2009 के द्वारा स्वीकृत उच्चीकृत वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से प्राकल्पिक आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाय और तदक्रम में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राकल्पिक आधार पर आगणित वेतन के आधार पर पेंशन का पुर्ननिर्धारण करते हुए दिनांक 01.04.2009 से पेंशन का वास्तविक लाभ अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— इस संबंध में होने वाला व्यय सुसंगत लेखा शीर्षक के नामे डाला जाए।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–319/XXVII(7)/2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 98 (1)/XXIV–नवसृजित/15–01(15)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उपसचिव।